न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ), नागौर

बइजलास श्री परसाराम आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या 132/2013

वादी	बनाम	प्रतिवादी
बीरबलराम पुत्र श्री मंगलाराम जाति विश्नोई निवासी ढींगसरा जिला नागौर		1. अर्जुनराम पुत्र मंगलाराम 2. पारूदेवी पत्नि अर्जुनराम 3. बादरराम पुत्र पोकरराम 4. पुसाराम पुत्र मूलाराम 5. मोतीराम पुत्र मूलाराम जाति विश्नोई निवासीगण ढीगसरा तहसील खींवसर जिला नागौर 6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार नागौर

वाद वास्ते बंटवाडा खेताय एवं घोषणा खातेदारी

निर्णय

दिनांक :– 30.05.2017

वादी निम्नलिखित वाद पत्र प्रस्तुत कर इश्तदुआ की कि, वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत सरहद टांकला मे खसरा नं. 533 रकबा 74.03 बीघा स्थित है। जिसमे प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का 1/3 हिस्सा है तथा शेष 2/3 हिस्से मे से 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 का है। बाकी बची भूमि मे से आधा हिस्सा पारू देवी प्रतिवादी संख्या 2 का व शेष भूमि मे से आधी अर्जुनराम व आधी वादी बीरबलराम के खातेदारी की है, इस प्रकार खसरा नं. 533 मे प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का 1/3 हिस्सा व शेष 2/3 हिस्से मे से 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 का व 2/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का व 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 1/5 हिस्सा वादी का है।

यह है कि वादी व प्रतिवादीगण ने अपनी संयुक्त खातेदारी की भूमि का मौके पर बंट कर रखा है। जिसके अनुसार सरहद टांकला के खसरा नं. 533 रकबा 74 बीघा 03 बिस्वा मे पश्चिमी तरफ की 24 बीघा 14 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 पुसाराम मोतीराम के बंट की व बाकी बची से से दक्षिणी तरफ की 9 बीघा 18 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 3 बादरराम के बंट की है तथा शेष मे से पूर्वी तरफ की 9 बीघा 16 बिस्वा भूमि वादी बीरबलराम के बंट की है व बीरबलराम के चिपती पश्चिमी 9 बीघा 15 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 1 अर्जुनराम के बंट की व उससे चिपती पश्चिमी 19 बीघा 11 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 2 पारूदेवी के बंट की है इसी अनुसार पक्षकारान काबिज है व बंट करवाना चाहते है। इसलिये यह वाद बंटवाडा व घोषणा खातेदारी का पेश है।

यह है कि वाद बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री सादिर फरमाया जावे–

(अ) कि सरहद टांकला स्थित खसरा नम्बर 533 का वाद पत्र के पेरा संख्या 2 मे दर्ज अनुसार अलग अलग बंटवाडा किया जाकर संबधित भूमि वादी के बंट व खातेदारी की घोषित की जावे।

सहायक कलक्टर
(SDO),नागौर

(ब) कि अन्य दादर्सी लाभार्थ वादी को प्रदान करावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की तरफ से वकालतनामा पेष करने हेतु वकील श्री मुकेश चौधरी ने दिनांक 17.11.14 को व दिनांक 26.3.15 को अन्डर टेकिग ली थी। प्रतिवादीगण संख्या 1व 2 की तरफ से दिनांक 23.2.17 को वकील श्री मुकेश चौधरी ने उनकी तरफ से नो इस्ट्रेक्शन प्लीड किया। प्रतिवादी संख्या तीन से पांच के नोटिस जरिये रजिस्ट्री के भिजवाये गये थ फिर भी नियत समय पर उपस्थित होने से प्रतिवादी संख्या 3से 5 के विरूद्व दिनांक 26.3.15 को एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गयी। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल खतौनियो से पक्षकारान सहखातेदार दर्ज साबित है। प्रतिवादीगण ने भी वादी के वाद को कन्टेस्ट नही किया है।

वादी वकील की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का वाद काबिल डिक्री होने से वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है।

मौजा टांकला स्थित खसरा नं. 533 रकबा 74 बीघा 3 बिस्वा मे पश्चिमी तरफ की 24 बीघा 14 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 4 व 5 क्रमशः पुसाराम, मोतीराम के तन्हाबंट कब्जे काश्त की व बाकी बची मे से दक्षिणी तरफ से 9.18 बीघा प्रतिवादी संख्या 3 बादरराम के तथा शेष मे से पूर्वी तरफ की 9.16 बीघा भूमि वादी बीरबलराम के तन्हा बंट मे व बीरबलराम के चिपती पश्चिमी 9.15 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 अर्जुनराम के तथा उसके चिपती पश्चिमी 19.11 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 पारू देवी के तन्हाबंट कब्जे काश्त व खातेदारी मे घोषित की जाती है। इसी अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। नियमानुसार आवश्यक स्टाम ड्यूटी वादी द्वारा प्रस्तुत करने पर राजस्व रेकर्ड मे अमलदराम कराने हेतु तहसीलदार नागौर को लिखा जावे।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर
सहायक कलक्टर (SDO), नागौर

निर्णय आज दिनांक 30.05.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर
सहायक कलक्टर (SDO), नागौर

—: न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ), नागौर :—
डिगरी बमुकद्दमे इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) मुकाम नागौर
इजलास श्री परसाराम आर.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादी
बीरबलराम पुत्र श्री मंगलाराम जाति विश्नोई निवासी ढींगसरा जिला नागौर		1. अर्जुनराम पुत्र मंगलाराम 2. पारूदेवी पत्नि अर्जुनराम 3. बादरराम पुत्र पोकरराम 4. पुसाराम पुत्र मूलाराम 5. मोतीराम पुत्र मूलाराम जाति विश्नोई निवासीगण ढीगसरा तहसील खींवसर जिला नागौर 6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार नागौर

राजस्व वाद 132/2013 सन् 2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू .... व हाजरी........................ मिनजानिब मुद्दई व .... मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है मौजा टांकला स्थित खसरा नं. 533 रकबा 74 बीघा 3 बिस्वा मे पश्चिमी तरफ की 24 बीघा 14 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 4 व 5 कमशः पुसाराम, मोतीराम के तन्हाबंट कब्जे काश्त की व बाकी बची मे से दक्षिणी तरफ से 9.18 बीघा प्रतिवादी संख्या 3 बादरराम के तथा शेष मे से पूर्वी तरफ की 9.16 बीघा भूमि वादी बीरबलराम के तन्हा बंट मे व बीरबलराम के चिपती पश्चिमी 9.15 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 अर्जुनराम के तथा उसके चिपती पश्चिमी 19.11 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 पारू देवी के तन्हाबंट कब्जे काश्त व खातेदारी मे घोषित की जाती हैं।

.... लीज..
मुबलिक........................ बाबत........................ खर्चा इस मुकद्दमे मय सूद व शहर....
.... फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक............
.... को अदा करें। बसीब्त तेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख..............
..........माह........................ सन् 20..

दस्तखत........................
ओहदा........................

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दयला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह साबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मीजान			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मिजान		